

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
कुलदीप सिंह बनाम रूप सिंह

तारीख हुकम

765
2025

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

20/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | रेस्पों. ने अधीनस्थ न्यायालय के मूल वाद संख्या 110/2025 में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2026 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/04/2026 को अन्तिम निस्तारण हो चुका है ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नहीं रह गयी है | अतः अपील अपीलान्त सारहीन हो जाने से खारिज फरमाई जावे |

हमने अधिवक्ता रेस्पों. के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय के मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2026 का अवलोकन किया गया | जिससे रेस्पों. के कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है | इससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है | अतः अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

